

राजस्थान सरकार

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं एवं उप- रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, पाली

क्रमांक: का/उरपा/संस्था/पंजीयन/..... 2449

दिनांक

श्री शैतानीसहे सांघु (अस्थायी) 6112416

विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति लखवी जी लखवा

आशमगाँव पोस्ट धुमेरपुर् जिला - पाली

विषय :- राजस्थान संस्था- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के

अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में

आपकी संस्था रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र क्रमांक पाली/2449/16 दिनांक 6112416 किया जाता है जिसकी प्राप्ति की सूचना भी भिजवाये यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा (4) (4) (क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचना भिजवानी आवश्यक है

1. संस्था के मामलो के प्रबन्ध जिसको सोपा गया है उस परिषद समिति या अन्य शीर्ष निकाये के शासको संचालको न्यासियों या सदस्यों के नाम पते और पेशे की सूचना मय पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनो को दिखाया गया है।

संस्था के नियमो ओर विनियमों की एक तारीख की सही प्रतिलिपी जो शर्धी निकास के शासको का संचालको न्यास्किा या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सहित प्रमाणित की गई हो इसके अलावा सही प्रमाणित की गई हो, ऐसी प्रतिर्वतन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यालय में पहुच जानी चाहिए।

आपका ध्यान उस अधिनियम की धारा (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रवधानों की पालना करने में विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर दण्ड से दण्डनीय होगा जो 500 रुपये तक हो सकता है तथा लगातार भंग होने के दशा में और ऐसे दण्ड अर्थ से दण्डनीय हो गया जो प्रत्येक 50रुपये से अधिक नहीं है कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची धारा अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमो विनियमों को या उसमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपी जान -बुझकर कोई मिथ्या प्रविष्टया लोप करता है या करवाता है, तो यह अपराध सिद्ध होने पर अर्थ दण्ड के दण्डनीय होगा जो 2000/- रुपये तक हो सकता है।

संलग्न :- पंजीयन प्रमाण -पत्र एवं विधान पत्र की प्रति

Principal

Bhawan Vivekanand Govt. Model School
Bumardix, Dist. Pal (Raj.)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
पाली - (सखवाड़ (राज.))

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र


क्रमांक/पाली/.....124...../20.16-17 -

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~विद्यालय विकास एवं प्रबंधन~~
~~समिति, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय मां स्कूल लजाबाजार,~~ जिला-पाली का
(सुमेरपुर)
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....६०.....माह.....दिसम्बर.....सन् दो हजार.....को
पाली में दिया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाएं, पाली
पाली (राजस्थान)


Principal

श्रीमता विवेकानंद Govt. Model School
Sumerpur Dist. Pali (Raj.)